बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक कचरा

बड़ी आबादी, तेज शहरीकरण, ऊर्जा की जरूरत आदि के कारण पैदा होते कचरे को निबटाने की समस्या से जूझते देश के सामने इलेक्ट्रॉनिक कचरे (इ-वेस्ट) के प्रबंधन की चुनौती भी गंभीर होती जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साजो-सामान के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती है तथा ऐसे उपकरणों और संबंधित चीजों का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ता जा रहा है. हमारे देश में सालाना 20 लाख टन इ-वेस्ट निकलता है. इस मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश ही हमसे आगे हैं. इसके अलावा विकसित देशों के ऐसे कचरे को भारत भेजा जाता है, जिसकी मात्रा के बारे निश्चित रूप से कहना मुश्किल है. संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में हर साल पांच करोड़ टन इ-वेस्ट निकलता है, जिसका सिर्फ 20 फीसदी हिस्सा ही फिर से उपयोग के लिए रिसाइकल हो पाता है. बाकी हिस्सा या तो फेंक दिया जाता है या फिर भारत जैसे विकासशील और अविकसित देशों में भेज दिया जाता है. अन्य प्रकार के कचरे या नाले के पानी को साफ करने और उसे दुबारा काम में लाने लायक बनाने का इंतजाम हमारे यहां बहुत लचर है. सो, इस आधार पर कहा जा सकता है कि इ-वेस्ट के निबटारे की कोई भी व्यवस्थित प्रणाली नहीं है. अक्तूबर, 2016 में इ-वेस्ट प्रबंधन के लिए नियम निर्दिष्ट किये गये थे, किंतु मार्च, 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय में यह जानकारी सामने आयी थी कि इन नियमों पर अमल नहीं हो रहा है. इन नियमों में इलेक्ट्रॉनिक चीजों के निर्माताओं को कहा गया है कि वे इन्हें जामा करने और रिसाइकल करने की व्यवस्था करेंगे. इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भविष्य में पैदा होनेवाले कचरे का आकलन करने को भी कहा गया, लेकिन अन्य जिम्मेदारियों की तरह इस मामले में भी यह बोर्ड बेहद लापरवाह है. इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2005 के बाद से कचरे के आकलन का कोई आंकड़ा देश के पास नहीं है. लिहाजा, कचरों का रिसाइकल करने पर भी कोई ध्यान नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बेचने-खरीदने में भी घोर अराजकता है. निर्माता, दुकानदार और उपभोक्ता ऐसे कचरे के नुकसान को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं. इसका नतीजा यह है कि अनधिकृत रूप से बेहद खराब हालत में मजदूर इनकी रिसाइकलिंग करते हैं तथा धातु निकाल कर बाकी कचरा कूड़े में डाल देते हैं या जला देते हैं. धातु निकालने के लिए तेजाब का भी बेजा इस्तेमाल होता है. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक, 2018 में अधिकृत तौर पर रिसाइकल करनेवाले उद्यमों की संख्या 214 थी, पर इन्होंने 2016-17 में महज 0.36 लाख टन इ-वेस्ट को ही रिसाइकल किया था. यदि इ-वेस्ट के समुचित प्रबंधन पर ध्यान दिया जाये, तो इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा हो सकते हैं तथा घातक प्रदूषण से भी बचा जा सकता है. यह उद्योग जगत और सरकारी तंत्र की सहभागिता से ही किया जा सकता है.

यदि इ-वेस्ट के समुचित प्रबंधन पर ध्यान दिया जाये, तो इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा हो सकते हैं तथा घातक प्रदूषण से भी बचा जा सकता है.

यूपी, बिहार में जनसंख्या की चुनौती

संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2019 में दुनिया की आबादी बढ़ कर 7.7 अरब हो गयी है, जबकि 2018 में यह आबादी 7.6 अरब थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है. भारत की जनसंख्या 1.2 फीसदी औसत वार्षिक दर से बढ़ कर 136 करोड़ हो गयी है. दूसरी ओर चीन की आबादी हर साल 0.5 फीसदी दर से बढ़ कर 142 करोड़ हो गयी है, जबकि जनसंख्या वृद्धि की वैश्विक औसत दर 1.1 फीसदी है. जनसंख्या वृद्धि में भारत चीन से आगे है, लेकिन औसत उम्र के मामले में पीछे है. भारत में औसत उम्र 69 साल है, जबकि चीन की औसत उम्र 77 साल है. वैश्विक औसत उम्र 72 साल है. रिपोर्ट के अनुसार भारत की 27 प्रतिशत आबादी 10-24 वर्ष की और 67 प्रतिशत आबादी 15-64 आयु वर्ग की है. देश के छह प्रतिशत लोग 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं. सकारात्मक बात है यह है कि रिपोर्ट में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात स्वीकार की गयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 1994 में देश में मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख बच्चों के जन्म में 488 मौत से घट कर 2015 में 174 तक आ गयी है. इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है. प्रगति के दावों के बावजूद भारत में बच्चों की स्थिति दयनीय बनी हुई है. भारत में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और विभिन्न कारणों से लगभग 10 करोड़ बच्चे स्कूल पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं.

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि चार राज्यों- यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है. एक और अहम आंकड़ा है कि दो हिंदी भाषी राज्यों- बिहार और उत्तर प्रदेश में 30.4 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं यानी देश की एक चौथाई आबादी केवल दो राज्यों में बसती है. यह तथ्य चौंकाता तो नहीं है, लेकिन हालात की गंभीरता की ओर जरूर इशारा करता है. यह सही है कि बड़ी जनसंख्या राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं अत्यंत गंभीर हैं. अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में बढ़ती जनसंख्या नहीं है और न ही यह कोई चुनावी मुद्दा है. गंभीर बात यह भी है कि समाज में भी इसको लेकर कोई विमर्श भी नहीं है. हम सब देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ रही है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं. यदि इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो रोजगार की समस्या और गंभीर होती चली जायेगी. बढ़ती जनसंख्या को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौती पर कोई चर्चा नहीं हो रही है. जनसंख्या के लिहाज से इन राज्यों के विकास का खाका कैसा हो, यह भी हमारे सामने नहीं है.

जनसंख्या के भारी दबाव का नतीजा प्रदूषण भी है. कुछ समय पर पहले एक रिपोर्ट आयी थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया के 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया और यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा शामिल हैं, लेकिन यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के हमारे अन्य अनेक शहरों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है. ये तथ्य किसी भी देश और समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं. स्थिति की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष 70 लाख लोगों की जान चली जाती है. इनमें छह लाख बच्चे शामिल हैं. दुनिया में औसतन सात में से एक बच्चा जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है. कई वर्षों तक प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण कैंसर, हृदय और सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं.

यूपी और बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में हम अभी बुनियादी समस्याओं को हल नहीं कर पाये हैं. अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछड़े हुए हैं. हम अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. बिहार के अधिकांश लोग कृषि से जीवन यापन करते हैं, लेकिन बिहार का एक बड़ा इलाका हर साल बाढ़ में डूबता आया है. कोसी और सीमांचल के इलाके की बाढ़ से आज भी हमें मुक्ति नहीं मिल पायी है. देश का कोई कोना नहीं है, जहां यूपी, बिहार के लोग नहीं पाये जाते हैं. यूपी, बिहार के लोग मेहनतकश हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की जो चमक-दमक नजर आती है, उसमें बिहारियों का भारी योगदान है. इन राज्यों की विकास की कहानी बिना बिहारियों के योगदान के नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर की घटनाएं हमारे सामने हैं, जहां बिहार के लोगों को बेइज्जत किया गया. स्थानीय नेता राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहारियों को निशाना बनाते हैं. देश में यूपी और बिहार के लोगों की जैसी इज्जत होनी चाहिए, वैसी नहीं है.

हमें यूपी और बिहार में ही शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे, ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े, लेकिन जनसंख्या इस काम में आड़े आ जाती है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी शिक्षा के बगैर बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती. आज हर साल दिल्ली और दक्षिण के राज्यों में पढ़ने के लिए यूपी,बिहार के हजारों बच्चे जाते हैं. साथ ही राजस्थान के कोटा में बिहार, यूपी और झारखंड के हजारों बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं. हमें यूपी, बिहार और झारखंड को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है. आज जरूरत है कि हम ऐसा ढांचा विकसित करें कि हमारे बच्चों को पढ़ाई और कोचिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े. इस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे. मेरा मानना है कि यूपी, बिहार और झारखंड में काफी साम्यता है. ये राज्य मिल कर विकास का नया मॉडल स्थापित कर सकते हैं. बिहार के पास उद्योग नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कामगार हैं. झारखंड में उद्योग हैं और यहां तेजी से औद्योगीकरण हो रहा है. बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी झारखंड आगे बढ़ रहा है. इसका फायदा बिहार उठा सकता है. इसके लिए दोनों राज्यों को साझा विषयों पर बात करनी होगी. वक्त आ गया है कि यूपी, बिहार और झारखंड भविष्य पर चिंतन करें. मेरा मानना है कि यूपी, बिहार और झारखंड जैसे हिंदी भाषी राज्य आगे बढ़ेंगे, तभी देश भी आगे बढ़ेगा.

आशुतोष चतुर्वेदी
प्रधान संपादक, प्रभात खबर
ashutosh.chaturvedi
@prabhatkhabar.in

बिहार और उत्तर प्रदेश में देश की एक चौथाई आबादी बसती है. यह तथ्य चौंकाता तो नहीं है, लेकिन जनसंख्या की गंभीर होती स्थिति की ओर जरूर इशारा करता है. इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं अत्यंत गंभीर हैं.

बोधि वृक्ष

ऊर्जा जागरण

हम उस ऊर्जा को अपने भीतर कैसे जगायें, जिसकी अपनी ही रौ या गति होती है, जिसके अपने ही कारण और प्रभाव होते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसके मार्ग में कोई प्रतिरोध नहीं होता, जिसका क्षय भी नहीं होता? कोई कैसे उस ऊर्जा तक पहुंचे? संगठित धर्म कई तरह के तरीकों विधियों की वकालत करते हैं, और कहते हैं कि किसी खास तरह के अभ्यास से कोई उस ऊर्जा को उपलब्ध हो सकता है. लेकिन तरीका आपको यह ऊर्जा नहीं देता. किसी भी विधि के अभ्यास में तद्नुकूलन अनुरूप होना, प्रतिरोध, नकार, स्वीकार्य, सामंजस्य आदि बातें निहित होती हैं. इसमें किसी में जो भी ऊर्जा है वह भी पूरी झोंक दी जाती है, तो इस द्वंद्व में कुछ भी शेष नहीं रह जाता. यदि आप इस सत्य को देख समझ पा रहे हैं, तो आप कभी भी किसी विधि का अभ्यास नहीं करेंगे. दूजी बात यह है कि यदि ऊर्जा का कोई उद्देश्य है, कोई एक अंत है जिसकी और वह बहती है, तो ऐसी ऊर्जा आत्मविध्वंसक होती है. और हम में से बहुतों के लिए ऊर्जा का एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है. क्या ऐसा नहीं होता? हम किसी उपलब्धि की इच्छा से गति करते हैं, इसलिए हमारा ऊर्जा अपने ही पराभव का कारण बनती है. जब ऊर्जा अतीत के अनुकूल-अनुरूप होने में लगती है तो यह मंदता, क्षीणता और तुच्छता को प्राप्त होती है. और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या या कठिनाई है. अतीत में न केवल असंख्य बीते कल होते हैं, बल्कि वह प्रत्येक मिनट भी होता है जो चाहे-अनचाहे यादों स्मृतियों के रूप में इकट्ठा हुआ और उन चीजों की यादें भी जो अभी क्षण भर पहले संजोई. दिल-दिमाग में मन में, यादों के इस ढेर को संजोने में भी ऊर्जा का नाश होता है. तो इस ऊर्जा को जगाने के लिए, मन में किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, न कोई उद्देश्य, न दृष्टि में किसी तरह का अंत या लक्ष्य, और मन 'बीते कल, आज और आनेवाले कल के रूप में' समय के जाल में भी नहीं उलझा होना चाहिए. तब ऊर्जा निरंतर अपने आप को नया बनाये रहती है और तब उसका क्षय या नाश भी नहीं होता.

जे कृष्णमूर्ति

गोवा में हिंदू स्मृति का जागरण

तरुण विजय
वरिष्ठ भाजपा नेता
tarunvijay55555@gmail.com

गोवा में गुड़ीपाड़वा के माध्यम से स्मृति जागरण का पर्व वास्तव में देश के हर गांव, गली-कूचे के धार्मिक-सांस्कृतिक संगठनों द्वारा अपनाया जाना चाहिए.

गोवा में गुड़ीपाड़वा उत्सव अर्थात नूतन विक्रमी संवत् 2076 का आरंभ एक विशाल समारोह से हुआ. हजारों लोग सुबह चार बजे उठे. हिंदू स्त्रियों ने मंदिर जानेवाले विशेष परिधान पहने, थालियों में दीपक सजाये, तो सौ से अधिक युवतियों ने केसरिया पगड़ियां और अश्वारोही की तरह कसी हुई साड़ियां पहन कर सौ मोटरसाइकिलों पर भगवा ध्वज के साथ सवारी संभाली. युवकों ने भगवा ध्वज के साथ नगर संकीर्तन और जय भवानी, जय शिवाजी तथा भारत माता की जय के नारे लगाये. मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि के नाते आमंत्रित था.

देर तक सोनेवाले अलसाई सुबहों के लिए प्रसिद्ध गोवा में सूर्योदय से पूर्व नगर के प्रमुख देवालय श्री रुद्र मंदिर में पूजन-अर्चन और उसके बाद नगर से शोभा यात्रा निकालते हुए एक मैदान में एकत्र हुए, जहां भव्य मंच पर भारत माता के चित्र के साथ आर्यभट्ट और भारत की उपग्रह शक्ति के नवीनतम चित्र अंकित थे.

क्या यह गोवा वहीं गोवा था, जिसके बारे में आमतौर पर लोग बस यूं ही कह देते हैं- ओ हो! गोवा यानी पूर्व का रोम? जहां सेंट जेवियर का बेसिलिका है और पश्चिमी धुनों पर थिरकते गायकों का कार्निवाल होता है? गोवा के बारे में यही आम धारणा आज भी देखने को मिलती है कि इस छोटे से प्रदेश में पुर्तगाली असर वाली ईसाई संस्कृति की ही मुख्यधारा है, जबकि सत्य यह है कि 450 वर्ष लगातार पुर्तगालियों के बर्बर और अमानुषिक हिंदू विरोधी राज को झेलने के बाद भी हिंदुओं ने अपने धर्म को बचाये रखा और आज वहां पैंसठ प्रतिशत हिंदू विद्यमान हैं. हिंदुओं ने अपनी धर्मरक्षा के लिए सिर कटाये, इंक्वीजिशन की सता-सता कर चमड़ी गला कर धीमी आंच पर तपा कर दी जानेवाली मृत्यु स्वीकार की, सागर तट से अपने मंदिर भीतर के सुरक्षित जंगलों में ले गये, पर धर्म की अग्नि को खत्म नहीं होने दिया. हिंदुओं के मंदिर तोड़े गये, उन पर चर्च बनाये गये. हिंदुओं ने वह सब देखा और भोगा. गोवा के अधिकांश ईसाई ब्राह्मण हिंदुओं से ही धर्मांतरित बताये जाते हैं, लेकिन गोवा की मानसिकता ऐसी बना दी गयी, मानो गोवा में पुर्तगालियों का 450 साल का शासन उदार और प्रजा वत्सल था. किसी भी पाठ्यक्रम में आज तक हिंदुओं पर अत्याचार का विषय पढ़ाया ही नहीं गया.

हिंदुओं की पहली विशेषता स्मृतिलोप होती है. गोवा भी उससे अछूता नहीं रहा. इस स्थिति को तोड़ा और बदला पणजी से कुछ दूर म्हापसा नगर के हिंदू कार्यकर्ताओं ने. उन्होंने गुड़ीपाड़वा को सार्वजनिक उत्सव का रूप दे दिया, जैसे कभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को दिया था. कुछ वर्षों में यह आयोजन म्हापसा नगर का सर्वप्रमुख एवं अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया और अन्य नगरों में भी फैलने लगा.

यह केवल एक नये वर्ष का कार्यक्रम नहीं, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक छटा बिखरती हो. यह हिंदू वीरता, विजय तथा उन बलिदानी महापुरुषों के स्मरण का भी दिन बना, जिनके शौर्य, तप और बलिदान से हिंदू आज इस स्थिति तक पहुंचे कि उन्हें अपने मंदिर छुपा कर जंगलों में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही अब हिंदुओं पर कोई अत्याचार करने का साहस तक कर सकता है. संघ के स्वयंसेवक गिरीश बरणे और संजीव वालावरकर जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता एक टीम के नाते जुटे. महत्वपूर्ण बात थी कि इस प्रकार के आयोजन का सार्वजनिक श्रीगणेश हुआ.

इस आयोजन में छत्रपति शिवाजी का हिंदवी साम्राज्य, अफजल खां जैसे असुरों का वध, औरंगजेब के हाथों गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादों का बलिदान और गोवा में 450 वर्ष तक पुर्तगालियों द्वारा किये गये अत्याचार तथा उनके समक्ष हिंदू दृढ़ता एवं वीरता के प्रेरक उदाहरण आदि का स्मरण किया जाता है.

जो बातें नयी पीढ़ी के मानस से धीरे-धीरे लुप्त हो रही थीं तथा हिंदुओं की नयी पीढ़ी केवल विदेशियों के प्रति ही कृतज्ञ भाव से खड़ी दिखने लगी थीं, उन्हें अपने उन पुरखों से परिचित कराने का यह अनुष्ठान देश का एक प्रतिष्ठित और प्रेरक समारोह बना है, जो स्मृति जागरण कराता है. स्मृति के बिना मनुष्य, समाज और राष्ट्र तीनों मृत हो जाते हैं. विदेशी आक्रांता सबसे पहले अपनी शासित प्रजा की स्मृति मिटाने अथवा उसे भ्रमित करने का प्रयास करता है, ताकि उसके राज्य का काला पक्ष धीरे-धीरे भुला दिया जाए. म्हापसा की गुड़ीपाड़वा आयोजन समिति ने विदेशी औपनिवेशिक शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने का स्मृति जागरण अभियान आरंभ किया. विश्व के महानतम देश अपने विद्यालयों में देश के सैनिक तथा स्मृति के प्रहरी निर्मित करते हैं. स्वतंत्र भारत में स्मृति का विलोप करनेवाले लोग तो आये, जिन्होंने विभिन्न सत्ताधिष्ठान संभाले, लेकिन बाल्यकाल से किसी भी विद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम नहीं प्रारंभ किये गये, जिनमें भारत राष्ट्र में जन्मे धर्मों के विरुद्ध विदेशी आक्रमणकारियों और उसका हिंदू वीरों द्वारा किये गये गौरवशाली प्रतिरोध का जिक्र तक हो.

गोवा में गुड़ीपाड़वा के माध्यम से स्मृति जागरण का पर्व वास्तव में देश के हर गांव, गली-कूचे के धार्मिक-सांस्कृतिक संगठनों द्वारा अपनाया जाना चाहिए.

आपके पत्र

राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता

दलों को मिलने वाले चंदे के स्वरूप में थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है. इसे पारदर्शिता की संज्ञा दी जा रही है, मगर ऐसा है नहीं. सुप्रीम कोर्ट के नये आदेश के अनुसार 31 मई तक सभी दलों को बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को बताना होगा कि कितने पैसे किसे मिले, लेकिन इससे होगा क्या? सरकार के प्रतिनिधि ने तो अदालत में साफ-साफ कह दिया है कि राजनीतिक दलों के हिसाब-किताब से देशवासियों का कुछ लेना-देना ही नहीं है. बंद लिफाफा वाला हिसाब-किताब मामले को रफा-दफा करने की एक साजिश है. याद कीजिए, अक्तूबर 2014 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल रोहतगी जी ने बंद लिफाफे में 627 भारतीयों के नाम सौंपे थे, जिनका स्विस बैंकों में अकाउंट है. उसका क्या हुआ? राजनीतिक भ्रष्टाचार का पहला पायदान दलों को मिलने वाला चंदा ही है. व्यापारी किसी को बिना मतलब 10 रुपये भी नहीं देते. अगर वह 10 देता है, तो उससे 100 वसूलता भी है.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

पबजी के खतरनाक प्रभाव

आजकल ऑनलाइन गेम ज्यादा खेले जा रहे हैं. पबजी भी उनमें से एक है. भारत में करोड़ो युवा इससे जुड़े हुए हैं. इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को खुद को जीवित रख कर दूसरों को मारना होता है. इसके बहुत से गलत प्रभाव दिखने लगे हैं. हैदराबाद के 16 वर्षीय लड़के ने पबजी खेलने को लेकर मां से मिली डांट पर आत्महत्या कर ली. वहीं, महाराष्ट्र में रेल ट्रैक पर पबजी खेलते दो युवकों की मौत हो गयी, क्योंकि वे ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाये थे. गाजियाबाद में 10वीं का लड़का खेल के चक्कर में घर छोड़ कर भाग गया. चीन ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर इस गेम को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. गुजरात भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां अहमदाबाद और राजकोट में इस पर प्रतिबंध लगा है. दुनियाभर में इस गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है. यदि कोई गेम बच्चों के जीवन के लिए खतरा बन रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए.

श्रीकांत दास, मधुपुर, देवघर

पेंशन कर्मियों का मौलिक अधिकार

रोजगार का सृजन करना लोकतंत्र में किसी भी संवेदनशील सरकार की प्राथमिकता होती है. सरकार रोजगार खैरात में नहीं देती. इसके लिए योग्यता के मानकों पर व्यक्ति को खरा उतरना पड़ता है. तब कहीं जा कर नौकरी मिल पाती है. 25-30 वर्ष की उम्र में नौकरी मिलती है और एक कर्मी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है. यह जीवन का सबसे कठिन दौर होता है. ऐसी अवस्था में, जब वह सबसे असहाय होता है, जीवन के बचे समय को गुजारने के लिए आय का एकमात्र स्रोत पेंशन राशि होती है. उसे बंद कर देना क्या मानवीय मूल्यों का परिचायक है? कदापि नहीं. इसलिए शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की, जिनकी पेंशन 2004 से बंद कर दी गयी है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हुए उन्हें बुढ़ापे का सहारा देकर सरकार को अपने अच्छे कार्यों की सूची में एक सुनहरा अध्याय जोड़ना चाहिए.

देवेश कुमार देव, इसरी बाजार, गिरिडीह

कुछ अलग

गर्व का रजिस्ट्रेशन

आलोक पुराणिक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

उस फिल्म स्टार ने कहा कि मुझे गर्व है अपने देशप्रेम पर, आपको भी करना चाहिए. फिर वह फिल्म स्टार अगले ही सीन में बिस्कुट बेचता दिखा.

मैं उस फिल्म स्टार की फिल्म देख कर आया- जिसमें वह महान योद्धा बना था, जिसने अफगानिस्तान के हजारों कबायलियों के खिलाफ एक किले की रक्षा की. सिर श्रद्धा से झुक गया. उस शहीद की फोटो तलाश कर मैंने अपनी टेबल के पास लगा ली, जिजीविषा, संघर्ष-वृत्ति यह होती है. पर वह फिल्म स्टार अगले ही सीन में टीवी पर बनियान बेचता दिखा. जिजीविषा को बनियान ने ढक लिया हो जैसे.

फिर मैं समझा- वह स्टार जब देशप्रेम की बात कर रहा था कि यह आह्वान कर रहा था कि वह वाली बनियान और यह वाला बिस्कुट खरीदो. प्रेम बिना नकद के नहीं होता, देशप्रेम भी बिना नकदी के न होता, नकदी दो बनियान लो और देशप्रेम पर गर्व का रजिस्ट्रेशन करा लो.

कोई मुझे कहता है कि गर्व करो. तो कुछ पल के लिए मैं कन्फ्यूज हो जाता हूं कि गर्व करने की विधि, प्रक्रिया, प्रकार, परिभाषा क्या है. स्कूल-कॉलेजों में तमाम बातें सिखायी जाती हैं, पर गर्व कैसे किया जाये, यह न बताया जाता. मतलब गर्व कैसे करे कोई, सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाये क्या? अचानक से सामान्य बंदा सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाये, तो आसपास के लोग कहेंगे कि कतई पागल हो लिया है. जवाब हालांकि दिया जा सकता है कि देखिए, मैं गर्व कर रहा हूं.

फिर भी यह बताया जाना चाहिए कि दिन में कितनी बार गर्व किया जाये और कितनी कितनी देर के लिए किया जाये. इस जाति के, उस धर्म के, उस गोत्र के, उस उपगोत्र के, उस कॉलेज के, इस स्कूल के, इस शहर के, उस राज्य के, इस देश के, उस महाद्वीप के, इस धंधे के, उस प्रोफेशन के हैं, तो आपको गर्व करना चाहिए. गर्व की बारह वजहें मैंने ऊपर गिना दी हैं. बंदा दस-दस मिनट गर्व करे इन बारह बातों पर, तो दो घंटे तो गर्व में ही निकल लेंगे. दो घंटे गर्व क्या उस देश में उचित है, जहां कई किसान इसलिए आत्महत्या कर लेते हों कि वे पचास हजार का कर्ज ना चुका पाये.

यह बेकार सवाल है. इस पर शर्म करनी चाहिए. दस मिनट शर्म के रख लें. भरी नालियां, खाली क्लिनिक, गरीब रिक्शेवाले, अमीर ठेकेदार, गायब बिजली, फरार पानी, इन पर भी दस-दस मिनट शर्म करे बंदा, तो घंटाभर तो शर्म में निकल जायेगा. बंदा गर्व और शर्म करता रह जायेगा, आखिर काम कब करेगा. गर्व करना है, तो बनियान या बिस्कुट खरीदो, शर्म करनी हो, तो क्रांतिकारी टीशर्ट और मोमबत्तियां खरीद लो. जिसकी जितनी हैसियत हो, उतना गर्व और शर्म कर लो.

इससे भी फायदा मोमबत्ती, टीशर्ट, बिस्कुट और बनियान के कारोबारी का ही होता है. जन्म से अंतिम संस्कार में लगनेवाले आइटमों की दुकानों से भी कारोबारी ही कमाते हैं.

तो फिर छोड़िए सब, अपना कारोबार कीजिए ना! जी, शर्म और गर्व, अब दोनों ही कारोबार हैं.

देश दुनिया से

सूडान की सत्ता से बशीर का हुआ तख्तापलट

बीते तीस साल से सूडान की सत्ता पर बैठे ओमर अल बशीर का वहां की सेना ने तख्तापलट कर दिया. बशीर के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आइसीसी) का वारंट भी है. अदालत चाहती है कि बशीर को उसके सुपुर्द किया जाये, लेकिन सूडान की अंतरिम सैन्य काउंसिल ने इस आग्रह को ठुकरा दिया है. फिलहाल तो देश की कमान अंतरिम सैन्य काउंसिल के हाथ में है. काउंसिल की पॉलिटिकल कमेटी के चैयरमैन ओमर जाइन अल-अब्दीन ने कहा कि हम अल बशीर को प्रत्यर्पित नहीं करेंगे. उन पर यहीं सूडान में मुकदमा चलाया जायेगा. अल-अब्दीन ने कहा कि हमारे पास अपनी न्यायपालिका है, हम सूडानी नागरिकों को प्रत्यर्पित नहीं करेंगे, और अगर हम उन्हें प्रत्यर्पित करेंगे तो यह हमारे इतिहास में एक काला धब्बा होगा. वहीं सेना के अधिकारियों के मुताबिक, 75 साल के पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल बशीर किसी गुप्त स्थान पर कैद हैं. बशीर पर सूडान के दारफूर इलाके में मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं. गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने बशीर के खिलाफ पहला गिरफ्तारी वारंट चार मार्च, 2009 और दूसरा 12 जुलाई, 2010 को ही जारी किया था.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है